तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली है। वकील वादी एवं फरीकान सरकार उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 11.6.25 को पेश हो। [initials] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
11.06.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०/ प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की सामलाती भूमि के खाता संख्या नया 90 के ख० नं० 706/470 को छोड़कर शेष वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे वाले ख० नम्बरान पर पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [initials] 11/6/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुकदमा संख्या – 135/2024

1. छोटेलाल पुत्र हरफूल
2. नरसीलाल पुत्र हरफूल
3. सद्दाराम पुत्र हरफूल
4. नानगी पत्नि बाबूलाल
5. पूजा पुत्री बाबूलाल
6. अनीस कुमार पुत्र बाबूलाल } नाबालिग जरिये संरक्षक नानगी पत्नि बाबूलाल
7. काजल पुत्री बाबूलाल } नाबालिग जरिये संरक्षक नानगी पत्नि बाबूलाल
8. मेवली पत्नि मंगल
9. माया पुत्री बाबूलाल
10. रमेश चन्द पुत्र मंगल
11. विकास कुमार पुत्र बाबूलाल } नाबालिग जरिये संरक्षक नानगी पत्नि बाबूलाल
12. संतोष पुत्री बाबूलाल } नाबालिग जरिये संरक्षक नानगी पत्नि बाबूलाल
13. गुलाब देवी पत्नि जन्सी
14. पूरणमल पुत्र जन्सी
15. रामकिशन पुत्र रामदेव
16. रामजीलाल पुत्र जन्सी

समस्त जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई जिला दौसा (राज.)

—: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत्

दिनांक निर्णय–11.06.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री नवीन कुमार ने दिनांक 10.12.2024 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता सं. नया 61 पुराना 64 के आराजी खसरा नं. 308 रकबा 0.01 हैक्टे.,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 321 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा नं. 354 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नं. 355 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 362 रकबा 0.21 हैक्टे, खसरा नं. 364 रकबा 0.2600 हैक्टे., खसरा नं. 468 रकबा 0.700 हैक्टे., खसरा नं. 688/306 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 702/445 रकबा 0.44 हैक्टे., खसरा नं. 723/478 रकबा 0.11 हैक्टे. कुल किता 10 कुल रकबा 2.15 हैक्टे. वाके गाँव रामपुरा पटवार हल्का गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। खाता सं. नया 90 पुराना 37 के आराजी खसरा नं. 317 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 351 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 352 रकबा 0.2600 हैक्टे., खसरा नं. 353 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा नं. 361 रकबा 0.26 हैक्टे., खसरा नं. 486 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 686/306 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 696/425 रकबा 0.13 हैक्टे., खसरा नं. 706/470 रकबा 0.5900 हैक्टे., खसरा नं. 726/484 रकबा 0.23 हैक्टे., खसरा नं. 728/485 रकबा 0.06 हैक्टे., खसरा नं. 730/487 रकबा 0.17 हैक्टे. कुल किता 12 कुल रकबा 2.38 हैक्टे. वाके गांव रामपुरा एवं खाता सं. नया 92 पुराना 93 के खसरा नं. 319 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 347 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 359 रकबा 0.11 हैक्टे. , खसरा नं. 363 रकबा 0.13 हैक्टे., खसरा नं. 365 रकबा 0.31 हैक्टे., खसरा नं. 483 रकबा 0.47 हैक्टे., खसरा नं. 488 रकबा 0.300 हैक्टे., खसरा नं. 692/322 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 700/425 रकबा 0.1300 हैक्टे., खसरा नं. 703/446 रकबा 0.2000 हैक्टे., खसरा नं. 725/484 रकबा 0.200 हैक्टे., खसरा नं. 729/487 रकबा 0.1300 हैक्टे. कुल किता 12 कुल रकबा 2.26 हैक्टे. वाके गांव रामपुरा तहसील बांदीकुई में स्थित है।

प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता सं. 90, 92, 61 के स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) नही होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थीगण की भूमि के स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नही कर पा रहा है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थीगण की फसल को नष्ट कर देते है जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है।

प्रार्थीगण ने तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष अपनी खातेदारी भूमियो का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना–पत्र पेश किया था। जिस पर तहसीलदार बांदीकुई के आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/1445 दिनांक 26.04.2023 एवं आदेश क्रमांक/भू.अ./1647–1648 दिनांक 10.05.2023 की पालना में दिनांक 18.05.2023 को मौके पर प्रार्थीगण की कृषि भूमियो का सीमाज्ञान किया जा चुका है। सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन इंसाफन जरूरी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक/भू0अ0/2025/1859 दिनांक 07.05.2025 द्वारा पटवारी हल्का गादरवाडा गुजरान द्वारा तैयार की गई जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 भिजवाई गई। पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामपूरा की जमाबंदी खाता सं0 नया 61 किता

Scanned with OKEN Scanner

10 रकबा 2.15 है0, खाता संख्या नया 90 किता 12 रकबा 2.38 है0, खाता संख्या नया 92 किता 12 रकबा 2.26 है0 प्रार्थीयान की सामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण अपनी सामलाती खातेदारी भूमि जमाबंदी खाता संख्या नया 90, 61, 92 में दर्ज खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करवाना चाहता है। खाता संख्या नया 61 के खसरा नं0 308, 321, 354, 355, 362, 364, 468, 688/306, 702/445, 723/478 कुल किता 10 रकबा 2.15 है0, खाता संख्या नया 90 के खसरा नम्बरान 317, 351, 352, 353, 361, 486, 686/306, 696/425, 706/470, 726/484, 728/485, 730/487 कुल किता 12 रकबा 2.38 है0, खाता संख्या नया 92 के खसरा नम्बरान 319, 347, 487, 359, 363, 365, 483, 488, 692/322, 700/425, 703/446, 725/484, 729/487 कुल किता 12 रकबा 2.26 है0 वाके ग्राम रामपूरा का सीमाज्ञान तत्कालीन पटवारी हल्का गादरवाडा गुजरान द्वारा दिनांक 18.05.2023 को किया जा चुका है। पत्थरगढी हेतु आवेदित खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 706/470 रकबा 0.59 है0 पर मौके पर उपस्थित लोगो द्वारा बताया गया की उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीयान का कब्जा नही होना बताया गया है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में सलग्न राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त जॉच रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत् में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। चूंकी तहसीलदार बांदीकुई द्वारा भिजवाई गई जॉच रिपोर्ट में खाता संख्या नया 90 के खसरा नम्बर 706/470 रकबा 0.59 है0 पर प्रार्थीयान का कब्जा नही होना बताया गया है। अतः तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की सामलाती भूमि के खाता संख्या नया 90 के खसरा नम्बर 706/470 को छोडकर शेष वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 61 के खसरा नं0 308, 321, 354, 355, 362, 364, 468, 688/306, 702/445, 723/478 कुल किता 10 रकबा 2.15 है0, खाता संख्या नया 90 के खसरा नम्बरान 317, 351, 352, 353, 361, 486, 686/306, 696/425, 726/484, 728/485, 730/487 कुल किता 11 रकबा 1.79 है0, खाता संख्या नया 92 के खसरा नम्बरान 319, 347, 359, 363, 365, 483, 488, 692/322, 700/425, 703/446, 725/484, 729/487 कुल किता 12 रकबा 2.26 है0 वाके ग्राम रामपूरा तहसील बांदीकुईमे प्रार्थीगण के कब्जे वाले खसरा नम्बरान पर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

11/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner